

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2025 को 01:30 बजे अपराहन में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0-01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक 22.05.2025 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -22.05.2025 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-20 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.05.2025 के बाद निर्गत पीक अप भान/ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -22.05.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई परमिट का ब्यौरा :-
बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल-262 (दिनांक 23.06.2025 तक) विशेष परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.05.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-

दिनांक-24.06.2025 तक बस/मिनी बस के कुल-23 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

क्र०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण,	पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1	रंजन यादव	BR11PD-0832 (बस) 19-09-2024 Cap- 41	पूर्णिया से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256	18-09-2026 15-06-2025 15-06-2025 18-09-2025	परमिट सं०- BR2024-SC-2822A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
2	दिवाकर कुमार	BR11PD-6777 (बस) 30-04-2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	29-04-2027 20-07-2025 23-04-2026 29-04-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत
3	साबीर	BR11M-4786 (बस) 17-10-2012 Cap- 33	मटियारी से पूर्णिया कुल खेप-01 कुल दूरी-192	17-03-2026 16-04-2026 19-12-2025 10-07-2025	परमिट सं०-BR2024-SC-1695A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।
4	तरुण कुमार	BR50P-0495 (बस) 06-09-2023 Cap- 33	पूर्णिया से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-488	05-09-2025 05-09-2025 04-09-2025 31-01-2026	परमिट सं०- BR2025-SC- 0961A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
5	निरंजन यादव	BR11PD-0833 (बस) 21/03/2025 Cap- 41	कटिहार से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-192	18-09-2026 15-06-2025 15-09-2025 18-09-2025	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत
6	वकिल कुमार यादव	BR11PB-9707 (बस) 19-09-2024 Cap- 42	भवानीपुर से भागलपुर कुल खेप-2 कुल दूरी-340	26-12-2025 10-07-2025 04-09-2025 23-10-2025	परमिट सं०-BR2021-SC-3134A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
7	सौरभ कुमार यादव	BR11PD-8373 (बस) 08-10-2024 Cap-41	किशनगंज से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-480	19-12-2025 31-07-2025 31-10-2025 01-05-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत

8	मो0 जावेद आलम	BR11T-7726 (बस) 10-06-2015 Cap-37	पूर्णिया से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-220	04-03-2026 27-08-2025 26-02-2026 23-02-2026	आपत्ति अप्राप्त	परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।
9	अजय कुमार	BR11PC-9694 (बस) 31-05-2024 Cap-41	पूर्णिया से बरबद्धा कुल खेप-03 कुल दूरी-450	30-05-2026 24-08-2025 26-05-2026 30-05-2026	परमिट सं0- BR2025-SC-0841A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
10	दिवाकर कुमार	BR11PD-1873 (बस) 25-01-2025 Cap-45 (MMPPY)	सिकंदी से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-01 कुल दूरी-348	24-01-2027 24-07-2025 24-01-2026 24-01-2025	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत
11	मे0 तहसील रजा	BR11PD-1875 (बस) 25-01-2025 Cap-45 (MMPPY)	पूर्णिया से सौटा कुल खेप-03 कुल दूरी-318	25-01-2027 24-07-2025 24-01-2026 24-01-2026	परमिट सं0-BR2025-SC-0920A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
12	श्रीमति ज्योति देवी	BR37P-9934 (बस) 08-08-2015 Cap-41	कटिहार से किशनगंज कुल खेप-01 कुल दूरी-152	18-08-2025 25-07-2025 01-08-2025 07-08-2025	परमिट सं0-BR2024-SC-3033A से आवृत एवं RTA पूर्णिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त	वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है।
13	सुभाष चन्द्र	BR11PD-9975 (बस) 19-01-2025 Cap-41	पूर्णिया से गलगलिया कुल खेप-01 कुल दूरी-300	18-01-2027 15-07-2025 15-01-2026 18-01-2026	आपत्ति अप्राप्त	स्वीकृत
14	टेकवेन आई. टी सॉल्यूशन प्रा0 लि0	BR11PD-2037 (बस) 18-02-2025 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	17-02-2027 07-07-2025 07-10-2025 17-02-2026	वाहन स्वामी द्वारा स्कूल बस के रूप में निबंधित इस वाहन के परमिट हेतु दिये गये आवेदन को रद्द कर प्रकाशित समय-सारणी को अपने अन्य वाहन के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।	वाहन स्कूल बस के रूप में निबंधित है इसलिए वाहन स्वामी स्कूल परमिट हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष समर्पित करेंगे। इनका आवेदन एवं प्रकाशित समय-सारणी रद्द किया जाता है।

44

15	टेकवेन आई. टी सॉल्यूशन प्रा० लि०	BR11PD-2036 (बस) 18-02-2025 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	17-02-2027 27-08-2025 30-08-2025 17-02-2026	वाहन स्वामी द्वारा स्कूल बस के रूप में निबंधित इस वाहन के परमिट हेतु दिये गये आवेदन को रद्द कर प्रकाशित समय-सारणी को अपने अन्य वाहन के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।	वाहन स्कूल बस के रूप में निबंधित है इसलिए वाहन स्वामी स्कूल परमिट हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष समर्पित करेंगे। इनका आवेदन एवं प्रकाशित समय-सारणी रद्द किया जाता है।
16	टेकवेन आई. टी सॉल्यूशन प्रा० लि०	BR11PD-2034 (बस) 18-02-2025 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	17-02-2027 17-02-2027 30-08-2025 17-02-2025	वाहन स्वामी द्वारा स्कूल बस के रूप में निबंधित इस वाहन के परमिट हेतु दिये गये आवेदन को रद्द कर प्रकाशित समय-सारणी को अपने अन्य वाहन के लिए सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है।	वाहन स्कूल बस के रूप में निबंधित है इसलिए वाहन स्वामी स्कूल परमिट हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष समर्पित करेंगे। इनका आवेदन एवं प्रकाशित समय-सारणी रद्द किया जाता है।
17	मीतू देवी	BR11PC-8752 (बस) 02-09-2022 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	01-09-2026 19-08-2025 04-09-2025 28-08-2025	वाहन स्वामी पूर्णिया-रूपौली मार्ग पर प्रकाशित समय-सारणी को रद्द कर किशनगंज से पूर्णिया मार्ग पर आवेदन देना चाहते हैं।	पूर्णिया-रूपौली मार्ग पर प्रकाशित समय-सारणी रद्द किया जाता है। वाहन स्वामी मान्य शुल्क एवं कागजात के साथ नए रूट पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
18	मीतू देवी	BR11PC-9232 (बस) 24-08-2021 Cap-45	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	23-08-2025 15-08-2025 12-08-2025 17-08-2025	वाहन स्वामी पूर्णिया-रूपौली मार्ग पर प्रकाशित समय-सारणी को रद्द कर किशनगंज से पूर्णिया मार्ग पर आवेदन देना चाहते हैं।	पूर्णिया-रूपौली मार्ग पर प्रकाशित समय-सारणी रद्द किया जाता है। वाहन स्वामी मान्य शुल्क एवं कागजात के साथ नए रूट पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं।
19	प्रवेज आलम	BR11PC-8880 (बस) 20-12-2023 Cap-41	सिकंदी से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-01 कुल दूरी-348	13-12-2025 22-07-2025 19-04-2026 04-12-2025	दिनांक 22.05.2025 के प्राधिकार की बैठक के कार्यावली सं०.5(2) पर स्वीकृत परमिट को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।	वाहन के पक्ष में स्वीकृत आवेदन एवं आवेदन के साथ समर्पित चलान को रद्द किया जाता है।
20	समीर जमशेद	BR10PB-6494 (बस) 12-01-2018 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-360	31-01-2026 11-07-2025 02-06-2026 02-06-2026	वाहन स्वामी द्वारा वाहन सं०-BR39E-7663 की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-0499A में अंकित समय-सारणी पर वाहन सं०-BR10PB-6494 का स्थायी परमिट लेने का अनुरोध किया गया है।	वाहन स्वामी के अनुरोध पर स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-0494A में अंकित समय-सारणी पर स्थायी परमिट की स्वीकृति दी जाती है।

21	राहुल कुमार	BR11T-3455 (बस) 30-04-2014 Cap-61	सिकटी से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-0 कुल दूरी-348	13-12-2025 22-07-2025 19-04-2026 04-12-2025	(1) वाहन सं0-BR11PD-1873 के वाहन स्वामी दिवाकर कुमार द्वारा अपने प्रकाशित समय-सारणी से सिकटी प्रस्थान-04:10, कुआड़ी प्रस्थान-05:42 एवं कुर्साकांटा प्रस्थान-05:58 पर आपत्ति दी गई है। जबकि आपत्तिकर्ता का सिकटी प्रस्थान-04:15, कुआड़ी प्रस्थान-05:45 एवं कुर्साकांटा प्रस्थान-06:00 है। दोनों वाहन का परिचालन मार्ग सिकटी से भागलपुर है। (2) वाहन सं0-BR11PA-4294 के वाहन स्वामी कुमार गोरव द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2025-SC-0484A से भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-11:30 पर आपत्ति दी गई है। जबकि आपत्तिकर्ता का भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-11:32 है। दोनों वाहन के समान परिचालन दूरी 80 प्रतिशत से कम है। पूर्व में भी प्राधिकार द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक परिचालन दूरी समान होने पर आपत्ति स्वीकार की गई है। आपत्तिकर्ता एवं आवेदक दोनों का समान परिचालन दूरी 80 प्रतिशत से कम है। अतएव आपत्ति अस्वीकार योग्य है। आपत्ति को निरस्त किया जाता है। (3) आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग पूर्णिया से भागलपुर है जबकि आवेदक का परिचालन मार्ग सिकटी से भागलपुर डिक्सन मोड़ है। आपत्ति परिचालन मार्ग के मध्य बिन्दु पूर्णिया पर दी गई है जहाँ 2 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। आपत्ति को निरस्त किया जाता है।
----	-------------	--	--	--	---

ML

✓

22	राहुल कुमार	BR07PC-7079 (बस) 06-02-2023 Cap-30	अररिया से भागलपुर डिक्सन मोड़ कुल खेप-02 कुल दूरी-548	05-02-2027 05-08-2025 03-03-2026 19-06-2026	(1) वाहन सं0-BR11PD-0946 के वाहन स्वामी शीशु राज द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2025-SC-0464A से भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-18:30 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-18:31 है। आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग जोगबनी से भागलपुर डिक्सन मोड़ है। (2) वाहन सं0-BR11PC-0334 के वाहन स्वामी अश्वनी राज द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-2058A से पूर्णिया प्रस्थान-07:35 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-07:33 है। (3) वाहन सं0-BR10PB-8908 के वाहन स्वामी कौशल कुमार सिंह द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2025-SC-1595A से पूर्णिया प्रस्थान-15:13 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-15:15 है।	(1) आवेदक का भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-18:30 है। जबकि आपत्तिकर्ता का भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान-18:31 है। उक्त प्रस्थान बिन्दु पर दोनों वाहन के परिचालन में 01 मिनट का अंतराल है। आवेदक को भागलपुर डिक्सन मोड़ प्रस्थान बिन्दु पर सशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे एक सप्ताह के लिए कार्यालय सुचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी, आपत्ति प्राप्त होने पर इसकी सुनवाई प्राधिकार के अगामी बैठक में की जायेगी। (2) आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग पूर्णिया से भागलपुर है जबकि आवेदक का परिचालन मार्ग सिकंदी से भागलपुर डिक्सन मोड़ है। आपत्ति परिचालन मार्ग मध्य बिन्दु पूर्णिया पर दी गई है जहां 2 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। आपत्ति को निरस्त किया जाता है। (3) आपत्तिकर्ता का परिचालन मार्ग पूर्णिया से भागलपुर है जबकि आवेदक का परिचालन मार्ग सिकंदी से भागलपुर डिक्सन मोड़ है। आपत्ति परिचालन मार्ग मध्य बिन्दु पूर्णिया पर दी गई है जहां 2 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। आपत्ति को निरस्त किया जाता है।
----	-------------	---	--	--	--	--

23	सुभाष चन्द्र	BR11PD-9945 (बस) 19-01-2025 Cap-41	किशनगंज से कटिहार कुल खेप-02 कुल दूरी-256	18-01-2027 15-07-2025 15-01-2026 18-01-2026	वाहन सं0-BR11PC-8173 के वाहन स्वामी सौरभ कुमार यादव द्वारा अपने स्थायी परमिट सं0-BR2023-SC-2331A से कटिहार प्रस्थान-06:26 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान-06:28 है।	आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिचालन मार्ग समान रूप से किशनगंज से कटिहार है। आवेदक का प्रस्थान बिन्दु प्रस्थान पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसे एक सप्ताह के लिए कार्यालय सुचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी, आपत्ति प्राप्त हाने पर इसकी सुनवाई प्राधिकार के अगामी बैठक में की जायेगी।
----	--------------	---	---	--	--	---

कार्यावली सं0-05.क) :-

दिनांक-22.05.2025 को आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं0-5(7), 5(33) एवं 5(34) में लिए गये निर्णय के आलोक में वाहन का व्यौरा:-

1	मोनिका कुमारी	BR11PC-7877 (बस) 06/05/2023 Cap-41	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440	दिनांक-22.05.2025 को आयोजित प्राधिकार के बैठक के कार्यावली सं0-5(7), 5(33) एवं 5(34) में लिए गये निर्णय के आलोक में दिनांक-17.06.2025 को जॉच समिति एवं वाहन स्वामी के एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी जिसमें वाहन स्वामी द्वारा आपसी समझौता हेतु दो दिन का समय मांगा गया था। प्राधिकार के सचिव एवं उक्त जॉच समिति के जिला परिवहन पदाधिकारी तथा मोटरयान निरीक्षक, किशनगंज के स्थानांतरण के फलस्वरूप नई कमिटी की गठन की आवश्यकता है।	नई कमिटी के गठन का प्रस्ताव सचिका के माध्यम से उपस्थापित किया जाय। कमिटी का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात अगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
2	आजाद कुमार सिंह	BR10PA-7250 (बस) 11-12-2025 Cap-42	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-330		
3	दिवाकर कुमार	BR11T-7377 (बस) 25-04-2015 Cap-43	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-330		

कार्यावली सं0-5.ख)

वाहन सं0-BR37PB-8227 के वाहन स्वामी श्री आलोक कुमार द्वारा वाहन सं0-BR37B-2617 की उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक होने के कारण वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2022-SC-2075A को रद्द करने का आवेदन पत्र समर्पित किया है। वाहन सं0-BR37B-2617 का निबंधन वर्ष-दिसम्बर, 2009 है, परमिट इस प्राधिकार द्वारा निर्गत है। यह वाहन किशनगंज-गलगलिया मार्ग पर परिचालित है एवं परिचालन दूरी 268 किमी0 है। उक्त वाहन का उम्र सीमा दिसम्बर, 2024 में 15 वर्ष पूर्ण हो गया है।

उपर्युक्त वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक है ऐसे परिस्थिति में प्रतिदिन केवल 100 km परिचालन दूरी अनुमान्य है, लेकिन वाहन स्वामी द्वारा अब तक अपने वैद्य वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।

निर्णय:- उक्त वाहन स्वामी एक पक्ष के अंदर अपने परमिट का वैद्य वाहन से प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराएँ। वाहन प्रतिस्थापन नहीं कराए जाने पर एक पक्ष के बाद परमिट रद्द कर दी जाए।

कार्यावली सं0-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 22.05.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

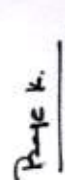
- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के 01 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त -सह- सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


24/6/25.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

उपर्युक्त वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक है ऐसे परिस्थिति में प्रतिदिन केवल 100 km परिचालन दूरी अनुमान्य है, लेकिन वाहन स्वामी द्वारा अब तक अपने वैद्य वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।

निर्णय:- उक्त वाहन स्वामी एक पक्ष के अंदर अपने परमिट का वैद्य वाहन से प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराएँ। वाहन प्रतिस्थापन नहीं कराए जाने पर एक पक्ष के बाद परमिट रद्द कर दी जाए।

कार्यावली सं०-6.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 22.05.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्षा/मोटर कैब के 01 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

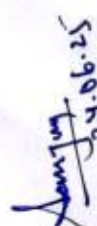
अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह० /
(रवि राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह० /
(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त -सह- सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।

ह० /
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापांक..... 778 दिनांक 24-06-2025
प्रतिलिपि:- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 02. अपर समाहर्ता-सह-सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया/काटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24.06.25
संयुक्त आयुक्त सह सचिव
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।